

5702 S-65



A 572895

कोरो गवाहों के ब्यानों के
आधार पर सत्यापित किया

विक्रय-मूल्य -20,15,000/-

स्टाम्प - 1,54,000/-

परगना - व तहसील दादरी

विक्रय-विलेख

1. भूमि प्रकार - कृषि
2. परगना व तहसील-दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (उ० प्र०)
3. ग्राम चमरावली रामगढ
4. सम्पत्ति का विवरण-आराजी खसरा संख्या-27ग
5. मापन की इकाई - हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.1687 हेक्टेयर
7. सडक की स्थिति - (परिशिष्ट के अनुसार) रोड से 1 किमी० से अधिक दूरी पर
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/ कार्नर इत्यादि) - X
9. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
10. पेडो का मूल्यांकन- X

वा.बु.वा.ल.



21 मजबू



कार्यालय उप कोषागार
नाहरी

11 MAY 2010

स्टाम्प नं० 2880
स्टाम्प नं० 2880 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

राजवाड़ा 5107417

70 के नमूना-चक्रों पर बहरी-गोखुना

बनामा ... 20/50000 ... फात राज ... 100000
उजरा ... 20 ... शब्द ... 10000
श्री ...
श्री ... पेशा ...
वासी ...
कार्यालय ...
नगर ...
... के प्रस्तुत किया।

रा. वृ. 11/7/10

मा. नेचमन का रोजावन एव इसम 10

20/50000 - उप मा. जे. या. उ. म. ए.

... के ...
... से श्री ...
... के ...





2

10. निर्गता म्मा मर्त —

11. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है—नहीं

प्रथम पक्ष की संख्या — (1) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

बाबू पुत्र श्री रत्ती निवासी ग्राम चमरावली रामगढ परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उ० प्र०।

व्यवसाय — खेती
क्रेता का विवरण

राम बाबू पुत्र श्री मधान निवासी कैमराला चक्रसैनपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर। व्यवसाय — खेती

मैं कि बाबू पुत्र श्री रत्ती निवासी ग्राम चमरावली रामगढ परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है) के है:-

॥ ७ ॥ ११११



२१/०५/१०



कार्यालय उप कोषागार
नांदरी
11 MAY 2010
स्टाम्प नं० २८७/१००... २५११
स्टाम्प नं० २८७२ में शामिल किया गया
उप रोकडिया

सहायक
राजपाल विवेक
श्री चक्रवर्ती राजेश तहसील
गिरि मन्ना यादव
श्री राजपाल नेकी
श्री राज लाल सिंह नरेश रोड तिलपारा चक्रवर्ती

11/5/10

राजपाल

राजपाल

सहायक

11/5/10



A 572897

3

जो कि विक्रेता अपनी भूमि खाता सं०-348 खसरा संख्या-27ग, रकबा 0.4170 हेक्टेयर मे से रकबा 0.1687 है० स्थित ग्राम चमरावली रामगढ परगना व तहसील -दादरी जिला गौतमबुद्धनगर, उ० प्र० का मालिक व काबिज है। उक्त भूमि विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है और विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों (खसरा, खतौनी) मे विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, विभिन्न प्रकार के, रहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा, आदि से बरी व पाक व साफ है। जिसको विक्रय करने का पूर्ण अधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त है। चूंकि विक्रेता को रुपयों की सख्त आवश्यकता है। अतः अपनी राजि खुशी से बिना किसी जोर दबाव, नाजायज के बय जरूरत होशो हवास में उपरोक्त आराजी नम्बरी व पैमाईशी, जिसका विस्तृत विवरण इस अभिलेख के अन्त मे दिया गया है। को बकीमती मुबलिंग रुपया-20,15,000 / (बीस लाख पन्द्रह हजार रुपया मात्र) जिसके आधे रुपया-10,07,500 / (दस लाख सात हजार पाच सौ रुपया मात्र) होते है। मैं वदहस्त राम बाबू पुत्र श्री मधान निवासी कैमराला चक्रसैनपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर । (जिसे आगे क्रेता कहा गया है) के पक्ष में बय फरोख्त कतई किया यानि कि बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना अपने ही समान क्रेता उपरोक्त बखूबी करा दिया अब आज की तारीख के बाद से विक्रेता या उसके वारिसान व कायम मुकामान का कोई

दादरी

21/01/00



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

11 MAY 2010

स्टाम्प नं० 28760 2570
स्टाम्प नं० 2870 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

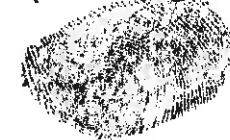
A 572898

4

हक या कोई हिस्सा व दावा उक्त विक्रित भूमि या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा अगर कोई व्यक्ति विक्रित भूमि या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बेनामे के समक्ष बिलकुल नाजायज शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उजर दारी या हक दारी से विक्रित भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले मिल्कीयत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जावे, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा मार्ग गरशित निकले तो तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व उसके वारिसान व कायम मुकामान की चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेंवे कोई मुकाम उजर का न होगा। यदि विक्रय विलेख को पंजिकरण के पश्चात किसी प्रकार की देयता विक्रय तिथि के पूर्व की उक्त भूमि पर निकलती है अथवा किसी व्यक्ति संस्था अथवा शासन द्वारा किसी प्रकार ऋण शुल्क टेक्स लगान किराया अथवा अन्य देय उस अवधि के मागे जाते हैं तब विक्रेता उस राशि को स्वयं जमा करेगा। ऐसा न करने पर क्रेता उक्त राशि को विक्रेता अथवा उसकी सम्पत्ति से वसूल

दीर्घा लाल

रामबाबू



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

11 MAY 2010

स्टाम्प नं० 283.....
स्टाम्प नं० 280 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 572899

5

लेगा विक्रित भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग राज मार्ग जनपदीय मार्ग लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रित भूमि मुख्य मार्ग से करीब 1 किमी० की दूरी पर स्थित है तथा 200 मीटर त्रिज्या के अन्दर कोई निर्माण नहीं है। विक्रित भूमि पर कोई पेड़ आदि नहीं लगा है। उक्त भूमि कृषि भूमि है और जिसमें वर्तमान समय तक कृषि ही हो रही है विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। विक्रित भूमि ग्राम चमरावली रामगढ़ परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उ० प्र० में स्थित है विक्रित भूमि का कुल क्षेत्रफल 0.1687 हेक्टेयर है, जिस की मालियत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गौतमबुद्धनगर द्वारा सर्किल रेट 85,00,000/रु० प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है, लेकिन स्टाम्प इससे भी अधिक पर अदा किया गया है। उक्त भूमि सिलिंग अथवा पट्टे नहीं है और न ही किसी सरकारी गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत की है।

बालू लाल

रामगढ़



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

11 MAY 2010

स्टाम्प नं० 281/00... 281/00
स्टाम्प नं० 281/00... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





A 572900

6

अतः संस्थागत वित्त उ० प्र० सरकार संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन
अनुभाग -5 अधिसूचना संख्या 1-सं० वि० को नि०
-5-2756/11-2008-500(1165) / 2007
लखनऊ दिनांक- 30 जून 2008 के अनुसार, शेड्यूल 1 के अनुसार
विक्रय मूल्य पर मुबलिग रुपया 1,54,000/रु० स्टाम्प शुल्क अदा किया
गया है।

क्रेता व विक्रेता के मध्य कोई इकरार नामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है।
उक्त विक्रित भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता
का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्त अनुसार है। यदि किसी कारण यह विक्रय
विलेख सक्षम अधिकारी/न्यायालय अथवा अन्य द्वारा निरस्त अथवा शून्य
घोषित कर दिया जाता है तब क्रेता विक्रेता से प्रतिफल मय कानूनी ब्याज
वसूल पाने का अधिकारी होगा है।

वी० लाल



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

11 MAY 2010

स्टाम्प नं० २५४००..... २५४००.....
स्टाम्प नं० २५४०० में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 443118

7

मसौदाकर्ता ने मौका नहीं देखा है क्रेता विक्रेता के कथन के आधार पर मसौदा तैयार किया गया है चस्पा फोटो गवाहान के कथन पर केवल सत्यापित किये गये है। लिहाजा यह बैनामा रूबरू गवाहान खूब सोच समझकर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरुस्त होशो हवास व स्वस्थचित्त मन से निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे तथा क्रेता ने भी अपने हस्ताक्षर कर के बैनामे का निष्पादन किया ।

विवरण भूमि बिक्रीशुदा

भूमि खाता सं०-348 खसरा संख्या-27ग, रकबा 0.4170 हेक्टेयर मे से रकबा 0.1687 है० स्थित ग्राम चमरावली रामगढ परगना व तहसील -दादरी जिला गौतमबुद्धनगर , उ० प्र०

वा.ब.लाल

रामगढ़

कोशालिय उप कोषागार
दालरी

11 MAY 2010

स्टाम्प नं० 286 को 1.00
स्टाम्प नं० 286 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 443119

8

तफसील वसलूयाबी जरसमन

बाबू पुत्र श्री रत्ती विक्रेता ने विक्रित भूमि का तय शुदा मूल्य रूपया 20,15,000/- (बीस लाख पन्द्रह हजार रूपया मात्र) समस्त उपरोक्त धन राशि निम्न प्रकार समक्ष गवहान वसूल पाई -

1. चैक संख्या 498159 अंकन-10,00,000/रु0 (दस लाख रूपये मात्र) दिनांक-12-05-2010 बैंक पंजाब नैशनल बैंक सैक्टर ओमेगा ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर के द्वारा
2. चैक संख्या 498160 अंकन-10,15,000/रु0 (दस लाख पन्द्रह हजार रूपये मात्र) दिनांक-12-06-2010 बैंक पंजाब नैशनल बैंक सैक्टर ओमेगा ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर के द्वारा

बीबी लाल

शिवलाल

कार्यालय उप कोषागार
रादरी

11 MAY 2010

स्टाम्प नं० 287...
स्टाम्प नं० 280... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 443120

9

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रुपया-20,15,000 / (बीस लाख पन्द्रह हजार रुपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी धनराशि विक्रित आराजी से सम्बन्धित क्रेता से पाना शेष नहीं रहा है।

वा. लाल



रामबाबू

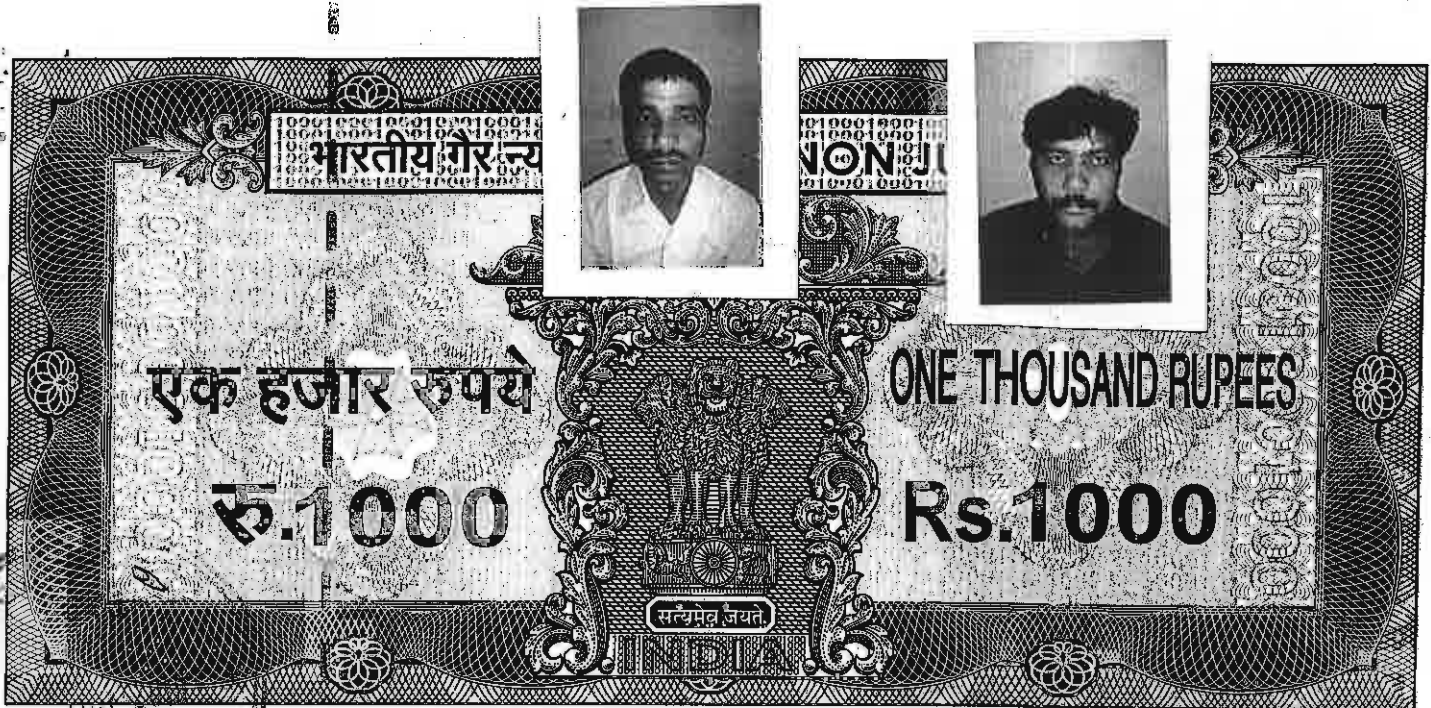


कार्यालय एम् कोषागार
दादरी

11 MAY 2010

स्टाम्प नं० 288 एम्
स्टाम्प नं० 288 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 443121

10

विक्रेता

21/8/10

बी.बी. लाल



गवाह नं० 01- विक्रेता की तरफ से -सतपाल पुत्र श्री रामपाल निवासी ग्राम चमरावली बोडाकी पर० व तह० दादरी जिला गौतमबुद्धनगर ।

21/8/10

गवाह नं० 02- क्रेता की तरफ से गिरिश कुमार यादव पुत्र श्री एस० सी० यादव निवासी डी० एस० लाल सिटी मकौडा रोड ग्राम तिलपता करनवास पर० व तह० दादरी जिला गौतमबुद्धनगर ।

21/8/10

दिनांक-11-05-2010-मसौदाकर्ता-जयपाल सिंह नागर एडवोकेट
टाईप कर्ता-संदीप पाण्डे

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

11 MAY 2010

स्टाम्प नं० २८११
स्टाम्प नं० २८१२ में शामिल किया गया
उप रोकडिया

ज दिनांक 11/5/10 को फोटोस्टेट
से पुस्तक संख्या २ खण्ड संख्या २६८५
पृष्ठ ३२३/३५५ पर क्रम संख्या ८१०२
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

*
उप निबन्धक
दादरी

